...ची–14 फारम सं0 563

...देश की ... सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
6.3.12	न्यायालय–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया वाद सं0–RM- 20/2010–11 संदीप जायसवाल बनाम याकूब अंसारी **आदेश** श्री संदीप जयसवाल ग्राम–मच्छरगांवा थाना–योगापट्टी, जिला–पश्चिम चम्पारण में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया सदर द्वारा Pre-emption case No- 17/09–10 अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 06.04.2010 के विरुद्ध आवेदन दिया जिसके आधार पर यह वाद प्रारंभ किया गया । अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम–धनगढवा, थाना संख्या–41, अंचल योगापट्टी के खाता संख्या–118 एवं 93 खेसरा न0–373, 374 एवं 375, रकवा 0–5–0 (पांच कट्ठा) अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 08.12.2009 को प्रतिवादी संख्या 2 से क्रय की गई तथा प्रतिवादी संख्या–1 उक्त प्रश्नगत भूमि के Adjoining Raiyat है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया सदर के न्यायालय में Pre-emption case No- 17/09.10 अपील कर्त्ता के विरुद्ध दाखिल की गई। अपील कर्त्ता का कथन है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा अन्तिम बहस हेतु निर्धारित तिथि 06.04.2010 को अपने अधिवक्ता के साथ बहस हेतु उपस्थित हुए लेकिन विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा स्थानान्तरण हो जाने के कारण नये पदाधिकारी को प्रभार सौंपने की बात कही गई एवं बहस नहीं सुनी जा सकी। लेकिन दिनांक 06.04.2010 को ही विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आदेश को पारित कर दिया गया। अपील कर्त्ता ने उक्त परिवाद आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने हेतु अपील	

ी–14 फारम सं0 563

ादेश की म सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

दाखिल किया है।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि अपीलकर्त्ता प्रश्नगत भूमि के न तो Co-sharer है और न हीं Adjoining Raiyat जब कि प्रतिवादी संख्या–1 उक्त प्रश्नगत भूमि के पूर्वी, दक्षिणी एवं उत्तरी चौहदी के Adjoining Raiyat है जो sale deed में भी स्पष्ट है। उनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा नियमानुसार अनुमान्य राशि से दस प्रतिशत अधिक राशि जिला कोषागार में चालान संख्या 8443 दिनांक 12.01.2010 द्वारा जमा करा दिया गया है।

दोनों पक्षों को सुना तथा उपलब्ध सभी कागजातों का अध्ययन किया। अपीलकर्त्ता स्वयं को भूमिहीन कहते हैं परंतु उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि उनके पिता सुधीर गुप्ता के नाम पर भू–स्वामित्व प्रमाण -पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत है तथा उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता के नाम पर जमीन है।

विपक्षी प्रश्नगत जमीन के पार्श्ववर्त्ती रैयत हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के द्वारा की गई विवेचना न्यायसंगत है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति एल0सी0आर0 के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजें।

समाहर्त्ता
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

समाहर्त्ता
पश्चिम चम्पारण, बेतिया